



अटल भूजल योजना हरियाणा













Introduction & ICE Breaking Exercise with the community





Dev Rishi Educational Society, Nanda Ki Chowki, Premnagar, Dehradun, Uttarakhand





योजना के उददेश्य



- अटल भूजल योजना का प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से चुने हुए जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधन प्रबंधन में सुधार करना है, जिससे पानी की समस्या के निराकरण के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
- केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ अभिसरण व समन्वय स्थापित कर योजना का ग्राम स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन
- बड़े पैमाने पर जल उपयोग में नियंत्रण
- फसल पैटर्न में सुधार करना एवं संसाधनों के कुशल एवं न्याय—संगत उपयोग को बढ़ावा देना
- र सहभागी भूजल प्रबंधन एवं सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना

अटल भूजल योजना—शुरूआतः



- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयों के 95वें जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसम्बर 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अटल भूजल योजना के शुभारंभ की घोषणा की गयो।
- जिसके तहत देश के 07 राज्यों के अन्तर्गत 78 जनपदों के 193 विकासखण्डों की 8353 ग्राम पंचायतें इस योजना से लाभान्वित होंगी।

जल सुरक्षा योजना की आवश्यकताः

वर्तमान में भूजल के गिरते परिप्रेक्ष्य को ध्यान दिया जाए तो, जो रिथिति पिछले 20 वर्षों में जल के सन्दर्भ में सामने आयी है, और यदि उसी गित से यह क्रम चलता रहा तो भावी पीड़ी के लिये समस्या अधिक विकट व कठिन होगी,

इसी लिये आज हमें दुरदर्शी सोच के साथ दुरगामी परिणाम के लिये एक ऐसी जल नीति की आवश्यकता है, जिसका सफल क्रियान्वयन कर हम अपने भविष्य के लिये जल का बेहत्तर प्रबन्धन कर सकें।

जल सुरक्षा योजना का महत्वः

योजना का निर्माण करना व योजना का क्रियान्वयन दोनों अलग—अलग प्रक्रिया है। यदि किसी योजना का गुणवत्तापूर्वक योजनावद्ध व क्रमवद्ध रूप में क्रियान्वयन किया जाए, तथा जिसमें हम उसमें और बेहत्तर करने का प्रयास करते हैं, और योजना में सफलता के साथ साथ भविष्य में अच्छे तथा दुरगामी परिणाम हमारे सामने होते है।

जल बजट व जल सुरक्षा योजना पर चर्चाः

- > जल बजट क्या है: जल बजट वह बजट है जिसे WMC &VWSC के सदस्य व ग्राम वासियों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं समस्याओं का प्राथमिकीकरण कर बजट का आंकलन किया जाता है। जिसके बाद बजट को अनुमोदित किया जाता है।
- ➢ जल सुरक्षा योजनाः WMC &VWSC के सदस्य व ग्राम वासियों द्वारा ग्राम का जल गुणवत्ता व भूजल स्तर से सम्बन्धित चयनित समस्याओं को निस्तारण हेतु प्राथमिकता के आधार पर जल सुरक्षा योजना में शामिल किया जाता है। और समय समय पर बैठकें आयोजित कर योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं। जैसे अटल भजल के तहत हम निम्न गतिविधियों को अपनी योजना में शामिल करते हैं।

ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) स्प्रिंकलर (Sprinkler) रिचार्ज साफ्ट, इंजेक्शन वेल, जलागम विकास (Watershed Dovelopement) वर्षा पानी संग्रहण टेंक (Rain Water Harvesting व फार्म पौण्ड) आदि को शामिल किया जा सकता है।

नोटः यदि ग्राम स्तर पर जल सुरक्षा योजना में कोई गतिविधि जोड़नी है तो प्रशिक्षण के दौरान वह अपने सुझाव व प्रस्ताव प्रशिक्षण के माध्यम से VWSC व उपस्थित DIP प्रतिनिधि को दे सकते हैं, तथा DIP के सहयोग निर्मित जल योजना को पंचायतवार प्रस्तुत किया जाऐगा।

वर्ष 2022—23 में भूजल का स्तर व गुणवत्ता पर विस्तारपूर्वक चर्चाः

ग्राम पंचायत चनार थाल शाहबाद का भूजल स्तर 84.23 फिट है।

पानी में खनिज	PH	EC(µs/c m)	TDS(mg/l)	Total Hardnes s(mg/l)	•	Magnesi um(mg/l)	•	Potassi um(mg/ I)		Bicarbon ate(mg/l)		Chloride(mg/l)	Fluoride(mg/l)	Nitrate(m g/l)
तत्वों की मानक														
आवश्यकता	6.5-8.5	750	500	200	75	30	200	40	200	200	200	250	1	45

ग्राम पंचायत चनार थाल में पानी की मौजूदा गुणवत्ता निम्नप्रकार

ग्राम पंचायत	PH है	EC(µs/c m)	TDS(mg/	Total Hardne ss(mg/l)	mg/l)	_				Bicarbon ate(mg/l)	-	Chloride(mg/l)	Fluoride(mg/l)	Nitrate(m g/l)	WQI Status
बालछप्पर	7.6	918	596	281	46.5	40	53.1	0.73	0	246	65.4	130	0.82	3.7	Poor

उक्त का अनुश्रवण करें तो ग्राम चनार थाल का वर्तमान भूजल स्तर के साथ—साथ जल की गुणवत्ता भी न्य्न है जो हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिहाज से भविष्य के लिय अत्यधिक चिन्ता का विषय है यदि हम वर्तमान में सुधार का प्रयास नही करते तो यह स्थिति भविष्य में और भी अधिक गम्भीर हो सकती है।

जल सुरक्षा योजना के घटकः

-		
	मांग क्षेत्र	पूर्ती क्षेत्र
	जैविक खेती को बढावा (Organic Farming)	रिचार्ज साफ्ट
	ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation)	इंजेक्शन वेल
	स्प्रिंकलर (Sprinkler)	जलागम विकास (WatershedDovelopement)
	फसल विविधिकरण (crop Diversification)	वर्षा पानी संग्रहण टेंक (Rain Water Harvesting)
	जीरो टिलेज के द्वारा गेहूं की खेती	फार्म पौण्ड
	ब्राड बेड फुयरो विधि ड्रिप सिंचाई के साथ	पौण्ड रिजुनेवेशन
	कृषि वानिकि को बढावा(Agroforestry)	
	मियावाकी पद्वति से वनरोपण	
	डी.एस.आर.(Direct Seeding Rice) विधि से धान की खेती	

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (micro irrigation system) सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि मानी जाती है. इस प्रणाली के तहत कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है. इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन से स्त्रोत से खेत तक पूर्व-निर्धारित मात्रा में आसानी से पहुंचाया जा सकता है. इसके इस्तेमाल से पानी की कम बर्बादी होती है. इस के तहत 30-40 फीसदी पानी की बचत होती है.


जल सुरक्षा के उपाय हेतु आवश्यक कदम :



क्षेत्र



जैविक खेती न केवल भूमि की सतह के लिये उपयुक्त है, बल्कि यह जल की कम खपत के साथ ही मानव स्वास्थ्य, जीव जन्तु व पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त व अच्छी है।






इस विधि से सिंचाई करने पर मृदा में नमी का उपयुक्त स्तर बना रहता है जिसके कारण फसल की उपज में वृद्धि और गुणवता अच्छी रहती है। इस विधि में सिंचाई के पानी के साथ घुलनशील उर्वरकए कीटनाशी तथा जीवनाशी या खरपतवारनाशी दवाओं का भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। जिसके तहत सरकार द्वारा किसानों को अलग—अलग योजना से 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।


जल सुरक्षा के उपाय हेतु आवश्यक कदम :



क्षेत्र

लाभ





हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधिकरण के माध्यम से सतत कृषि को बढावा देने के लिय किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मक्का, कपास, दलहन व तिलहनी फसलों के लिय प्रति एकड रू० 7000 व उद्यान विभाग के तहत फलोद्यान विकसित करने के लिय प्रति एकड 50% (रू० 32500 से 70000 तक) अधिकतम 10 एकड क्षेत्र के लिय तीन किस्तों में अनुदान दिया जा रहा है।



धान की सीधी बुवाई से न केवल पानी की बचत होती है, जबिक पैदावार भी औसतन अच्छी होती है। पारम्परिक विधि से धान की खेती में प्रति एकड़ रु० 15240 व डी.एस.आर पद्धित से खेती करने में रु० 11633 का व्यय होता है। जबिक जो DSR के सापेक्ष रु० 3607 अधिक है। यदि बात आय की करें तो जहां पारम्परिक विधि से प्रति एकड़ रु० 12560 व DSR पद्धित से रु० 18967 की आय होती है जो पारम्परिक विधि से रु० 6407 अधिक है साथ ही सरकार द्वारा DSR अपनाने पर रु० 4000 प्रति एकड़ किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है, यदि कुल लाभ का आंकलन करें तो रू० 14014 की शुद्ध बचत है।

वर्षा जल संचयन : अभिप्राय

वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों । आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना।

वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ हैं :

आवश्यकतानुसार जल की प्राप्ति,

जमीन के अन्दर जल मात्रा बढ़ना,

जल प्रदूषण कम होना,

जल स्तर नीचे न गिरना,

मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा-भरा बनाये रखना आदि।

परिरेखा (कन्टूर) बॉध के द्वारा वर्षा जल संचयन

परिरेखा बांध वाटर शेड में लम्बे समय तक मृदा नमी को संरक्षित रखने की प्रभावी पद्धति है।


यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां मानसून का अपवहित जल समान ऊँचाई वाले कन्ट्र के चारों तरफ़ ढलान वाली भूमि पर बांध बना कर रोका जा सकता।

बहते हुए जल को कटाव वेग प्राप्त करने से पहले बंड के बीच में उचित दूरी रख कर रोक दिया जाता है।

दो कन्ट्रर बंड के बीच की दूरी क्षेत्र के ढलान व मृदा की पारगम्यता पर निर्भर होती है। मृदा की पारगम्यता जितनी कम होगी कन्ट्रर बंड के बीच दूरी उतनी कम होगी।

कन्दूर बंड साधारण ढलान वाली ज़मीन के लिए उपयुक्त होते हैं इनमें सीढ़ियां बनाया जाना शामिल नहीं होता।

परिरेखा (कन्टूर) बाँध के द्वारा वर्षा जल संचयन



गैबियन संरचना द्वारा वर्षा जल संचयन




यह एक प्रकार का चैक डेम होता है जिसका निर्माण सामान्यत: छोटी जलधाराओं पर जलधाराओं के बहाव को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। साथ ही, जलधारा के बाहर बिल्कुल भी प्लावन नहीं हो पाता।

जलधारा पर छोटे बांध का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध शिलाखण्डों को लोहे के तारों की जालियों में डालकर तथा जलधारा के किनारों पर बांध कर किया जाता है।

इस प्रकार की संरचनाओं की ऊंचाई लगभग 0.5 मीटर होती है व ये साधारणतया 10 मीटर से कम चौड़ाई वाली जलधाराओं में प्रयोग होती है।

कुछ जल पुनर्भरण के स्त्रोत में जमा छोड़ कर शेष अधिक जल इस संरचना के ऊपर से बह जाता है। जलधारा की गाद शिलाखण्डों के बीच जम जाती है और फिर उसमें वनस्पति के उगने से बांध अपारगम्य बन जाता है और बरसात के अपविहत सतही जल को अधिक समय तक रोक कर भूमि जल में पुनर्भरित होने में मदद करता है।

परकोलेशन टैंक द्वारा वर्षा जल संचयन



परकोलेशन टैंक कृत्रिम रूप से सृजित सतही जल संरचना है। इसके जलाश्य में अत्यंत पारगम्य भूमि जलप्लिवत हो जाती है जिससे सतही अपवाह परिस्त्रावित होकर भूमि जल भण्डार का पुनर्भरण करता है।

परकोलेशन टैंक का निर्माण यथासंभव द्वितीय से तृतीय चरण की जलधारा पर किया जाना चाहिए। यह अत्यधिक दरार वाली कच्ची चट्टानों जो सीध में नीचे बहने वाली जलधारा तक फैली हों, पर स्थित होना चाहिए।

चैक डैम/सीमेन्ट प्लग/नाला बंड के द्वारा वर्षा जल संचयन





चैक डैम का निर्माण अतिसामान्य ढलान वाली छोटी जलधाराओं पर किया जाता है। चयनित जगह पर पारगम्य स्तर या वैदरड स्तर की पर्याप्त मोटाई होनी चाहिए ताकि एकत्रित जल कम समयान्तराल में पुनर्भरित हो सके।

जल सुरक्षा योजना का कियान्वयनः

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई विभाग के सहयोग से अटल भूजल योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा जिला परियोजना प्रबन्धन DPMUs व जिला कियान्वयन सहयोगी एजेंसी DIPs के सहयोग से जन सहभागिता के साथ मांग आधारित गतिविधियों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा विभागों के माध्यम से संचालित अनुदान योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर कियान्वयन किया जा रहा है।

सरकार द्वारा रेखीय विभागों के माध्यम से संचालित योजनाएं एवं अनुदानः

योजना	क्षेत्र	सेक्टर	संचालित विभाग	विभागीय अनुदान (% / रू0 में)	योजना के तहत प्रोत्साहन (%/ रू0 में)
मेरा पानी मेरी विरासत MPMV	फसल विविधिकरण, DSR	राज्य सरकार	कृषि	7000 4000	-
मिकाडा MICADA	टपका, फव्वारा विधि से सिंचाई, फार्म पौण्ड	राज्य सरकार		85	15
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना PMKSY	बागवानी व कृषि बीज	राज्य सरकार	उद्यान	15000	-
सिचाई एवं जल संशाधन विभाग	बोर वेल (इन्जेक्शन वेल)	राज्य सरकार	सिचाई एवं जल संशाधन विभाग	100	-
मनरेगा MGNREGA	तालाब, चालखाल, चैकडैम, रिचार्ज पिट/ सोखता गडढा	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	ग्राम्य विकास विभाग	60/40	-

जल सुरक्षा / दक्षता हेतु हस्तक्षेपः











Micro irrigation-Sprinkler सूक्ष्म सिंचाई- फव्वारा

Micro irrigation –Drip सूक्ष्म सिंचाई-टपक

यूजीपीएल के माध्यम से सिंचाई

फसल विविधीकरण पानी की बचत के अन्य उपाय



- \square MICADA
- □ PMKSY
- □ MPMV

- □ MICADA
- \square PMKSY
- \square MPMV

 \square RKVY

□ MPMV

□ MPMV □(DSR,ZT.BBF,RBP)

भूजल प्रबन्धन हेतु चलाई जा रही अनुदान योजनाऐ:



अटल भूजल योजना

सहभागी भूजल प्रबंधन



क्या है अटल भूजल योजना ?

भारत सरकार और हरियाणा सरकार की एक सांझी योजना गहराते भूजल संकट से निपटने की एक सांझी कोशिश

लक्ष्य भूजल के स्तर की गिरावट को सामाजिक सहभागीता के साथ ५०% तक कम

करना मुख्य गतिविधियों

- गांव में सहभागीता भूजल प्रबंधन समिति का गठन करना • गांव स्तर पर भूजल को मापने और जाँचने के लिए यंत्र स्थापित
- ग्रामवासिओं का भजल प्रबंधन पर क्षमता निर्माण
- यामवासिओं को भजल प्रबंधन को लेकर जागरूक करना
- समुदाय के नेतृत्व में गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार करना
- भूजल को बचाने के लिए गांव के जोहड़ और तालाबों का कायाकल्प , सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन और कम पानी की ज़रूरत वाली फसलों को बढ़ावा

भूजल प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने के लिए ग्रामीणों को पूर्ण अधिकार और उसका पालन करने के लिए प्रशासन बाध्य आज भूजल बचाएंगे - आने वाला कल बचाएंगे



THE WORLD BANK

निवेदक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अटल भूजल योजना



सहभागी भूजल प्रबंधन

म्हारा पाणी म्हारी विरासत

भूजल बचाने के लिए क्या करें ??


- फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप और फब्बारों का इस्तेमाल करें।
- जो फसलें ज्यादा पानी लेती हैं , उनकी जगह का कम पानी कि जरूरत वाली फसलें लगाएं।
- बारिश के जल का संरक्षण एवं उपयोग में लाए।
- अपने गांव के जोहड़ों को गन्दा ना करें और उनका रखरखाव
- ट्यूबवेल (नलकूप) वाले पानी को व्यर्थ ना बाहये।
- ग्रामवासी मिलकर अपने गांव के जल बजट के अनुसार जल सुरक्षा योजना तैयार करें।
- सब ग्रामवासी मिल कर भूजल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ले।

भजल बचाएंगे - जीवन बचाएंगे



निवेदक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा सरकार





श्रेणी	बाग का प्रकार	लागत इकाई प्रति एकड़ (रूपयें)	अनुदान प्रति एकड् (रूपर्ये)
क	सामान्य दूरी वाले बागों के लिए (6 मी० X 7 मी० एवं अधिक) बेर, चीकू, लीची, आंवला, आडू एवं नाशपाती आदि फलों के लिए। प्रति एकड़ लगभग 95 पौधे।	65 ,000/-	कुल अनुदान 32,500/— (लागत का 50%) • प्रथम वर्ष—19,500/— • द्वितीय वर्ष—6500/— • तृतीय वर्ष—6500/—
ख	सघन बागों के लिए (6 मीं) X 6 मीं) एवं इससे कम) आम, अमरुद, नींबू वर्गीय, अनार, आडू, अलूचा, नाशपाती, अंगूट, पपीता एवं ड्रैगन फ़ूट आदि फलों के लिए। प्रति एकड़ लगभग 111 एवं इससे अधिक पौधें।	1,00,000/-	कुल अनुदान 50,000/- (लागत का 50%) • प्रथम वर्ष-30,000/- • द्वितीय वर्ष-10,000/- • तृतीय वर्ष-10,000/-
ग	टिशु कल्चर खजूर (8 मी० X 8 मी० व इससे अधिक) प्रति एकड् लगभग 63 पीचे।	2 ,00 ,000/-	कुल अनुदान 1,40,000/- (लागत का 50%) • प्रथम वर्ष-84,000/- • द्वितीय वर्ष-28,000/- • तृतीय वर्ष-28,000/-
घ	Trellising System/पौचा जाल प्रणाली (मुख्यतः अनार, ड्रैगन फ्रूट, अमरुद, अंगूर इत्यादि बागों के लिए)	1,40,000/-	कुल अनुदान 70,000/- (लागत का 50%) एक मुश्त अनुदान

- एक किसान अधिकतम 10 एकड क्षेत्र में अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- आवेदन हेतू hortnet.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आघार पर ।
 - मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य ।
- सुक्ष्म सिंचाई / डिप सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने के लिए http://micada.haryana.gov.in पर आवेदन करे।
- अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क करें।



उद्यान विभाग हरियाणा उद्यान विभाग , सैक्टर -21, पंचकूला -134112



टोल फ्री नम्बरः

1800-180-2021

दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य जिलों में फसल विविधीकरण को बढावा

दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने हेतु नई योजना शुरू

- किसानों को दी जाएगी ₹4,000/एकड़ वित्तीय सहायता
 - किसानों के खातों में <mark>सीधे ट्रांसफर</mark> की जाएगी राशि
 - ''मेरी फसल-मेरा ब्योरा'' पोर्टल पर करना होगा

जल सुरक्षा योजना के लाभः


जल सुरक्षा योजना के तहत ग्राम वासियों को पानी के उपयोग हेतु अपने मूलभूत आवश्यकताओं का आंकलन कर ग्राम स्तर पर साझी रणनीति बनाकर जल का जरूरत के आधार पर उपयोग किया जायेगा, जिससे पानी का अनावश्यक दुरउपयोग से बचत होगी और आने वाले समय में जल की पर्यापत मात्रा में उपलब्धता बनी रहेगी।

उदाहरण स्वरूपः ग्राम पंचायत कूलपुर विकासखण्ड सरस्वतीनगर जिला यमुनानगर के सरपंच श्री गुरमीत सिंह द्वारा जल के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुये प्रशिक्षण के दौरान न केवल पानी के सीमित उपयोग पर निर्णय लिया बल्कि पंचायत स्तर तत्काल प्रभाव से लागू भी किया कि अब से 3 समय खुलने वाला पानी केवल 2 समय ही खोला जायेगा, जिससे प्रति दिन कुल लीटर पानी की बचत होगी।

व्यवहार परिवर्तन पर सामुदायिक चर्चाः

परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। सभी समाजो मे परिवर्तन निश्चय ही होता है। यह तो सम्भव है कि प्रत्येक समाज मे परिवर्तन की मात्रा भिन्न हो, परन्तु सामाजिक परिवर्तन के न होने कि कोई सम्भावना नहीं होती है। समाज निरन्तर परिवर्तनशील रहा है। प्राकृतिक कारक इन्हें भौगोलिक कारक भी कहते है। मानव ने प्रकृति को अपने वश मे करने का प्रयास किया है, पर प्रकृति पर वह पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका है। प्रकृति अपने विनाशकारी रूप मे परिवर्तन लाती है। यह रूप भूकम्प, अकाल, बाढ़, महामारी आदि के समय दिखता है। प्राकृतिक अवस्था ही मानव सभ्यता के विकास और विनाश का कारण बनती है। जहां प्रकृति शान्त होती है वहां विज्ञान का विकास होता है तथा जहाँ प्रकृति रौद्र स्वरूप दिखाती है वहां धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है।

❖ इसी परिवर्तन का स्थानीय उदाहरण है जनपद यमुनानगर के विकास खण्ड रादौर के ग्राम झ्गड़ी में किसान श्री को अटल भूजल के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। जिससे प्रेरित होकर श्री द्वारा मिकाडा व अटल भूजल के सहयोग से 22 एकड भूमि पर टपका व फव्वारा सिचाई विधि से गन्ने की खेती की जा रही है, जिसमें श्री द्वारा बताया गया कि सीधे टूबवेल के सापेक्ष टपका विधि से लगभग 50 प्रतिशत पानी की बचत के साथ ही पैदावार में भी वृद्धि हुई है।






झगड़ी गांव में टपका सिचाई सिसटम

देश में भूजल कूंए कम होते जा रहे हैं..!

रिथति चिन्ताजनक है..॥



54% of India's Groundwater Wells Are Decreasing









www.indiawatertool.in

हरियाणा की भूजल स्थितिः





तेजी से घट रहे भूजल को बचाने के लिए सहयोग करें





हरियाणा के 14 भूजल संकट वाले जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत कार्य किए जा रहे हैं: –

- हें अन्तर्गत कार्य किए जा रहें है: • समदाय स्तर जागह्नकता
- वर्षा मापन यंत्र
- जल प्रवाह दर मापन यंत्र
- जल परिक्षण किट
- जल पुर्नभरण निर्माण

आप भूजल की स्थिति बदल सकते हैं

भूजल प्रयोग (प्रस्तावित)

- जल बजट के आधार पर जल सुरक्षा योजना बनाना
- जल पंचायत का आयोजन करना
- सुक्ष्म सिचाई विधि अपनाना (ड्रिप-स्प्रिंकलर)
- धान की सीधी बिजाई करना (डी.एस.आर)
- फसल विविधिकरण अपनाना (मेरा पानी मेरी विरासत के तहत)
- छत पर वर्षा जल संचय करने वाले ढांचे को लगाना (रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर)

सुझाव

- धान एवं गन्ने की फसल की खेती कम से कम लगाएं
- फसल विविधिकरण अपनाएं(कम पानी की खपत वाली फसलें जैसे कपास, जौ, बाजरा, सिंडजयां, चारा, एवं फलदार वृक्ष लगाएं)
- ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को अधिक से अधिक अपनाएं
- प्राक्रतिक खेती को अपनाएं

सौजन्य से- सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा




धान की बजाय फलों के बाग लगाने पर विशेष अनुदान





- आवेदन हेतु https://hortnet.gov.in/ पोर्टल पर जाएं
- अधिकतम १० एकड क्षेत्र तक अनुदान
- अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर







अधिक जानकारी के लिए

स्कैनकरें



जिला उद्यान अधिकारी

कॉल करें (टोल फ्री नंबर)

1800 180 2021



उद्यान विभाग, हरियाणा

उद्यान विभाग, सेक्टर -21, पंचकूला -134112, फोन: 0172-2582322 वेवसाइट:-www.hortharyana.gov.in| ई-मेल:-horticulture@hrv.nic.in



🧚 सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा







फसल विविधीकरण योजना



- सरकार द्वारा धान की फसल की जगह वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का/कपास/खरीफ तिलहन/खरीफ दलहन/सब्जियां व फल लगाने के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' का वर्ष २०२२ के लिए भी शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल किए गए हैं।
- किसान अपने पिछले वर्ष बोए गए धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का/कपास/खरीफ तिलहन/ खरीफ दलहन/ सब्जियां व फल में बदल सकता है। जो किसान धान की जगह चारा या अपने खेत खाली भी रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जिन किसानों ने पिछले वर्ष 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगाई थी. वे इस वर्ष भी उसी किल्ला नंबर पर पंजीकरण करके **इस योजना का लाभ** उठा सकते हैं।
- फसल विविधिकरण करने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- किसान 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' वैब पोर्टल पर अपने आपको स्वयं, सी.एस.सी. व कृषि विभाग के माध्यम से पंजीकृत करवा सकते हैं।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण 🧥



जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा 🌲

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा 🔌

🌞 सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा 🥞 www.prharyana.gov.in 🛮 😭 🖸 🐧 🚨 🕒 🐧 @OlprHaryana







पानी बचाने के लिए उपयुक्त ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना

सुक्ष्म सिंचाई परियोजना के चार मुख्य घटक

जलमार्गों का पुनर्वास, नवीनीकरण और निर्माण (९९% तक सब्सिडी)



सौर ऊर्जा संचालित जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (७५% सब्सिडी)



2 व्यक्तिगत/सामुदायिक खेतों में तालाब और टैंकों का निर्माण (८५% तक सब्सिडी)



किसानों की सभी श्रेणियों हेतु डिप और स्प्रिंकलर जैसी ऑन-फार्म सक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना (85% सब्सिडी)



योजना का लाभ उठाने हेत् www.cadaharyana.nic.in पर लॉग इन करके तथा 'एमआई के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन' पर क्लिक करें

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण 🧥



जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

攀 सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा 🏻 www.prharyana.gov.in | 🜃 🖭 🗘 🚨 🔾 🤂 @DiprHaryana



भूजल प्रबन्धन में किसानों की भूमिकाः



- केन्द्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के 141 विकास खण्डों में से 85 विकास खण्ड भूजल स्तर के लिहाज से लाल श्रेणी में आ चुके हैं। वर्ष 2004 में यह संख्या 55 थी। प्रतिशत क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट आई है।
- भूजल को बढाने के लिये अब किसानों को फसल विविधिकरण की प्रकिया को अपनाने की आवश्यकता है। जिसमें पानी की अधिक खपत वाली फसलों जैसे (धान, गन्ला व गेंहू इत्यादि) के स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलों जैसे (दलहन एवं सब्जी आदि) के उत्पादन को बढावा देने के साथ—साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग (जैविक खेती को बढावा ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) स्प्रिंकलर (Sprinkler) फसल विविधिकरण जीरो टिलेज के द्वारा गेहूं की खेती ब्राड बेड फुयरो विधि ड्रिप सिंचाई के साथ कृषि वानिकि को बढावा(Agroforestry) मियावाकी पद्वित से वनरोपण डी.एस.आर.(Direct Seeding Rice) विधि से धान की खेती

भूजल प्रबन्धन में महिलाओं की सहभागिताः



▶मिहलाएँ जल की प्रमुख उपयोग कर्ता होती है। वे खाना पकाने से लेकर बर्तन व कपड़े धोने, परिवार की अन्य अन्य स्वच्छता सफाई के लिए जल का प्रयोग करती हैं। जल प्रबन्धन में मिहलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः आज के वर्तमान समय में विश्व, राष्ट, राज्य व गांव स्तर पर भी मिहलाएं भूरा जल प्रबन्धन के साथ—साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर जल संरक्षण में एक सिकय भूमिका निभा रही है।

सामुदायिक सहभागिता का नेतृत्वः

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC द्वारा गांव व ग्राम स्तर पर समय समय बैठकों का आयोजन कर सरकार द्वारा विभागीय के माध्यम से संचालित योजनाओं की समुदाय को जानकारी उपलब्ध कराना व योजनाओं से ग्राम वासियों को लाभान्वित करना।

- ❖ जल सुरक्षा योजना निर्माण व योजना के कियान्वयन में समुदाय को जागरूक कर अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ योजनाओं के नियोजन में नीचे से ऊपर सकी पद्धति का प्रयोग। समुदाय की सहभागिता।
- ❖ योजनाओं के बारे में लाभार्थी समुदाय के लिए अभिमुखीकरण, क्षमता विकास तथा जागरूकता कायक्रमों का आयोजन।
- ❖ भूजल प्रबन्धन के क्षेत्र में किय गय सफल एवं अनुकरणीय प्रयासों (Success stories and best practices) की लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना।

भूजल प्रबन्धन में VWSC की भूमिकाः



- भूजल प्रबंधन के मुददों पर समुदाय को जागरुक व संगठित करना।
- वर्षिक जल बजट अभ्यास आयोजित करना।
- भूजल प्रबंधन हेतु ग्राम स्तरीय गतिविधियों को चिन्हित करना।
- DIPs के साथ मिलकर गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार करना।
- ग्राम स्तरीय जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिक्य प्रतिभाग व समन्वय स्थापित करना।
- ग्राम स्तर पर जल सम्बन्धी जानकारी एकत्र करना और उपलब्ध कराना।
- ग्राम जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन में सिकय भूमिका निभाना।
- सभी समूहों , विशेष रुप से महिलाओं एवं कमजोर वर्ग की योजना कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करवाना।
- मांग आधारित योजना गतिविधियों हेतु लाभार्थियों के चिन्हीकरण में जिला/राज्य स्तरीय कार्यदायी विभागों के साथ समन्वय।

अटल भूजल योजना : औचित्य एवं आवश्यकता





- निरन्तर बढ़ती हुई आबादी, शहरीकरण, तथा
 औद्योगीकरण की जलापूर्ति की मांग की आपूर्ति व
 कृषि क्षेत्र में भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग
- प्रत्यक क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक व अनावश्यक उपयोग
- विभिन्न योजनाओं तथा कायक्रमों में भूजल प्रबन्धन को एक महत्वपूर्ण उददेश्य अथवा घटक के रूप में स्थान नहीं दिया गया है
- योजनाओं तथा कायक्रमों का निर्माण में मांग के बजाय आपूर्ति पर आधारित प्रक्रिया





अटल भूजल योजना



सहभागी भूजल प्रबंधन

म्हारा पाणी म्हारी विरासत

भूजल प्रबंधन में VWSC की भूमिका

- भूजल प्रबंधन के मुद्दों पर समुदाय को जागरूक और संगठित करना
- वार्षिक जल बजट अभ्यास आयोजित करना
- भूजल प्रबंधन के लिए ग्राम स्तरीय गतिविधियों को चिंहित करना
- DIPs के साथ मिलकर गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार करना
- ग्राम स्तरीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का समन्वय करना
- ग्राम स्तर पर जल संबंधी जानकारी एकत्र करना और उपलब्ध कराना
- ग्राम जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन में समन्वय

आज भूजल बचाएंगे - आने वाला कल बचाएंगे



निवेदक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा सरकार





अटल भूजल योजना



THE WORLD BANK

सहभागी भूजल प्रबंधन

म्हारा पाणी म्हारी विरासत

ग्राम स्तर पर कैसे काम करेगी अटल भुजल योजना

- VWSC और DIP मिलकर भूजल संरक्षण को लेकर जागरुकता पैदा करेंगे
- भूजल प्रबंधन के बारे में ग्राम स्तर पर विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित किया जाएगा
- गांव में जल की स्थित को समझने के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएंगी
- ग्रामीणों के परामर्श से गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी
- ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही गांव की जल सुरक्षा योजना मान्य होगी
- विभिन्न सरकारी विभाग गांव की जल सुरक्षा योजना में बताए गए कार्यों लागू करेंगे
- गांव की जल सुरक्षा योजना को हर साल संशोधित किया जाएगा
- गांव की जल सुरक्षा योजना में ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होगा और सभी संबंधित प्राधिकारियों पर मान्य होगा

आज भूजल बचाएंगे - आने वाला कल बचाएंगे



निवेदक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा सरकार





अटल भूजल योजना





म्हारा पाणी म्हारी विरासत

शपथ पत्र

हम सभी बच्चे ये शपथ लेते है कि
हमारे गांव में भूजल को बचाने के लिए
हम सब मिलकर पानी का सदुपयोग करेंगे
पानी की एक बूंद को भी बबाद नहीं करेंगे
पानी का नल कभी भी खुला नहीं छोड़ेंगे
बारिश के पानी को बचाएंगे
हर साल नए पेड़ लगाएंगे और उनकी रखवाली करेंगे
गांव के जोहड़ को गन्दा नहीं करेंगे

हमारे परिवार और दोस्तों को भी भूजल बचाने के लिए जागरूक करेंगे आज भूजल बचाएंगे - आने वाला कल बचाएंगे



निवेदक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा सरकार



जल मापक उपकरणः



रेन गेज—वर्षा मापक यंत्र
पलो मीटर—पाईप या नाली के माध्यम से चलने वाली
गैस, वाष्प या तरल की मात्रा को इंगित करने,
पीजो मीटर—भूमिगत जल के दबाब को मापने हेतु
वाटर टेस्टिंग किट—जल गुणवत्ता जांचने हेतु
वाटर लेवल इंडिकेटर—पानी की गहराई नापने हेतु



Thank you.



